सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से अलंकृत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों जी की जयंती पर सादर नमन।

—— डा. हर्षवर्धन, भाजपा सांसद

कुटिल ताकतें भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल करना चाहती हैं।

—— जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें : राष्ट्रपति

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों से सोमवार को आग्रह किया कि वे रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें और इस नेक कार्य से युवाओं सहित लोगों को जोड़ने के लिए कार्य करें।

राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों डॉ नटराज को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह स्वर्ण पदक नटराज द्वारा पिछले तीन दशकों से की जा रही सामुदायिक सेवा के सम्मान में प्रदान किया गया। यह स्वर्ण पदक पूरे देश में रेड क्रॉस सोसाइटी में केवल दो लोगों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदाएँ हों अथवा स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियाँ हों, रेडक्रॉस ने राहत कार्यों द्वारा अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए बहुत कम समय में 220 करोड़ से अधिक टीके की खुराक देने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ''यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहें ।उन्होंने कहा कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम नवाचार को अपनाएं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें।इस कार्यक्रम में मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमिलसाई, बंडारू दत्तात्रेय समेत 9 राज्यों के राज्यपाल मौजूद रहे. राज्य रेड क्रॉस की ओर से अध्यक्ष अजय मिश्रा, महासचिव मदन मोहन राव और राष्ट्रीय समिति के सदस्य विजय चंद्र रेड्डी कार्यक्रम में शामिल हुए।

रेडक्रास सोसाइटी की एजीएम को प्रशस्ति पत्र सौंपतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ में हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया व अन्य। फोटो : प्रेट्र

- राष्ट्रपति ने रेडक्रॉस सोसाइटी से की अपील
- डॉ नटराज को स्वर्ण पदक से नवाजा

डीयू में दाखिले का दूसरा चरण शुरू

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 के अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए सोमवार से दाखिले का दूसरा चरण शुरू कर दिया। इस चरण में छात्र कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) की आवेदन की प्रक्रिया में अपने कॉलेज और कोर्स का विकल्प भर सकते हैं। डीयू ने छात्रों को आवेदन और कॉलेज और कोर्स का विकल्प भरने को 24 जुलाई शाम 4 बजकर 59 मिनट तक का समय दिया है। इसके साथ रिजर्व कोटे के लिए अपने प्रोफाइल में सुधार कर सकेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए डीयू ने करेक्शन विंडो की सुविधा प्रदान की है।

डीयू ने कहा है कि छात्र अपने नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और कास्ट कैटेगरी में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो 20 जुलाई शाम 4 बजकर 59 मिनट तक ही खुला रहेगा। करेक्शन विंडो में छात्र ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते। हालांकि सर्टिफिकेट को री अपलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के तहत सीएसएएस 27 जुलाई शाम 5 बजे छात्रों द्वारा दिये गये विकल्प का ऑटो लॉक हो जाएगा। इसके बाद डीयू द्वारा सिमुलेटिड मेरिट लिस्ट 29 जुलाई को शाम 5 बजे तक घोषित किया जाएगा। छात्रों की सहूलियत के लिए भरे गये कॉलेज व कोर्स का विकल्प में बदलाव करने का अवसर 29 जुलाई शाम 5 बजे से 30 जुलाई रात 11 बजकर 59 मिनट तक के लिए दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कहा है कि दाखिले केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के नॉर्मलाइज्ड स्कोर किया जाएगा। डीयू ने कहा है कि छात्र के स्कोर केवल उन्हीं विषय का मान्य होगा, जो उनके बारहवीं में होंगे और जिनका उन्होंने सीयूईटी दिया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और कोर्स का विकल्प भरने की सलाह दी है। डीयू द्वारा दाखिले को लेकर 21 से वेबिनार आयोजित किये जाएंगे। डीयू के यूट्यूब चैनल पर वेबिनार का लाइव टेलीकास्ट होगा। विश्वविद्यालय ने दाखिले को लेकर हेल्पडेस्क, चैट बॉक्स और ई-मेल से सवाल का जवाब लेने की व्यवस्था की है। कॉलेज स्तर पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई हैं।

- 24 जुलाई तक पंजीकरण और कॉलेज विकल्प देने का मिलेगा मौका
- सिमुलेटिड मेरिट लिस्ट 29 की शाम 5 बजे तक घोषित होंगी
- विवि ने रिजर्व कोटे के लिए आवेदन में दिया सुधार करने का अवसर
- दाखिले को लेकर कॉलेजों में हेल्पडेस्क, विवि का चैट बॉक्स और ई-मेल उपलब्ध
- दाखिले को लेकर 21 से वेबिनार आयोजित किए जाएंगे

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd
(CIN: U66010KA1990PLC011409)
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, नं.3, जेवीटी टॉवर्स, 8वां ए मेन रोड़, सम्पंगी रामा नगर, हडसन सर्कल, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560027, e-mail: customercare@aadharhousing.com

कंपनी की शाखा के स्थानांतरण/स्थान परिवर्तन के लिए आम सूचना

यह आम जनता, ग्राहक और जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** की मुख्य शाखा ऑफिस नं. 15, 16 एवं 17, पहली मंजिल, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-31, निठारी ग्राम के पास, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (जिला) - 201301, उत्तर प्रदेश (पुराना पता) स्थित कार्यालय को नये कार्यालय पते - दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 253, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, पिछला भाग (बेक साईड), महाराजा अग्रसेन मार्ग, नोएडा सेक्टर-31, पिल्लर नं. 23, निठारी ग्राम, गौतम बुद्ध नगर (जिला) - 201301, उत्तर प्रदेश पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 90 दिनों के बाद स्थानांतरण/स्थान परिवर्तन कर दिया जाएगा। किसी और जानकारी के लिए या कोई स्पष्टीकरण के लिए कृपया AHFL की आधिकारिक वेबसाईट https://aadharhousing.com/# पर जायें, या हमारी नजदीकी शाखा या टोल फ्री नंबर 180030042020 पर संपर्क करें।

ह/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 17.07.2023 आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जेएनयू : स्नातक, सीओपी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली (एसएनबी)। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने सत्र 2023-24 लिए अपने स्नातक और दक्षता प्रमाणपत्र (सीओपी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। जेएनयू ने एक बयान में कहा कि नए सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश (सीयूईटी) अंकों को स्वीकार कर रही है। विश्वविद्यालय ने 16 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में कहा जेएनयू ने नए सत्र में स्नातक और सीओपी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। विश्वविद्यालय के मुताबिक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि दो अगस्त है। जेएनयू के मुताबिक विदेशी भाषाओं में स्नातक (बीए), आयुर्वेद जीव विज्ञान में बीएससी-एमएससी एकीकृत कार्यक्रम और सभी सीओपी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी (स्नातक) अंक लागू होंगे। विश्वविद्यालय ने कहा कि आगामी सत्र में जेएनयू के बी.टेक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स को उत्तीर्ण करना होगा।

दिल्ली विवि में दाखिले 1 अगस्त से

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सत्र 2023-24 के अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले एक अगस्त से शुरू होंगे। डीयू द्वारा इस दिन शाम पांच बजे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) की पहली एलोकेशन लिस्ट जारी की जाएगी। कॉलेजों द्वारा इसी दिन से छात्रों को सीट का ऑफर दिया जाना शुरू किया जाएगा। कॉलेज द्वारा छात्रों के नॉर्मलाइज्ड मेरिट स्कोर, कोर्स के विकल्पों और ऑनलाइन सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद उन्हें सीट का प्रस्ताव दिया जाएगा। छात्र को दिये गये सीट को हर हाल में स्वीकार करना होगा। यदि छात्र ऐसा नहीं करता है तो वह दाखिला प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएगा। डीयू दाखिले के पहले राउंड में जनरल, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 20 फीसद अतिरिक्त सीटों पर दाखिला होगा। इसी के साथ एससी-एसटी और दिव्यांग कोटे में 30 फीसद अतिरिक्त सीटों पर दाखिला होगा। डीयू ने कहा है कि सीटों को भरने को लिए वह कभी भी अपनी नीति फैसला ले सकता है। कॉलेजों में नये सत्र 2023-24 के क्लासेज 16 अगस्त से शुरु होंगी।

- कॉलेजों में नए सत्र 2023-24 की क्लासेज 16 अगस्त से
- विश्वविद्यालय तीन राउंड में करेगा दाखिले
- पहले राउंड में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 फीसद एक्ट्रा सीटें

पहला राउंड का दाखिला 1 अगस्त को शाम 5 बजे को एलोकेशन लिस्ट जारी होने के साथ छात्रों को सीटों को ऑफर दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। छात्रों को सीटों का ऑफर 4 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक दिया जाएगा। छात्र द्वारा ऑफर स्वीकार किये जाने के बाद कॉलेज 1 से 5 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक छात्रों के दाखिले को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। कॉलेज द्वारा दाखिले स्वीकार होने के साथ ही छात्रों को 6 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक फीस भरने का अवसर होगा।

दूसरा राउंड शुरू करने से पहले 7 अगस्त शाम पांच बजे खाली सीटों को घोषित किया जाएगा। इसी के साथ छात्रों को अपने विकल्प में बदलाव करने का अवसर दिया जाएगा। छात्र 7 अगस्त शाम 5 बजे से 8 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक विकल्पों में बदलाव कर सकेंगे। दस अगस्त शाम पांच बजे डीयू द्वारा दूसरी एलोकेशन लिस्ट जारी की जाएगी। इसी दिन शाम 5 बजे से 13 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक छात्रों को सीटों का ऑफर दिया जाएगा। कॉलेज 10 अगस्त शाम 5 बजे से 14 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट तक दाखिले को स्वीकार करेंगे। छात्रों को दूसरे राउंड के तहत 15 अगस्त शाम 4 बजकर 59 मिनट छात्र फीस जमा करा सकेंगे।

दाखिले का तीसरा राउंड : खाली सीटें घोषित-17 अगस्त शाम 5 बजे, मिड एंट्री-री ऑर्डर प्रीफ्रेरेंस-17 अगस्त शाम 5 बजे से 19 अगस्त शाम 4.59 तक, तीसरी एलोकेशन लिस्ट- 22 अगस्त शाम 5 बजे, सीटों का ऑफर- 22 अगस्त शाम 5 बजे से 24 अगस्त शाम 4.59 मिनट तक, कॉलेजो द्वारा सत्यापन और अप्रूवल-22 अगस्त शाम 5 बजे से 25 अगस्त शाम 4.59 मिनट तक, फीस जमा-26 अगस्त शाम 4.59 मिनट तक।

परिशिष्ट IV-A
नियम 8(6) का नियम देखे
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड [CIN: U65923DLC2006PLC150632] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **रचनात्मक कब्जा** लिया जा चुका है, को **18.08.2023** को **दोपहर 02.00 से 04.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HLLANOI00397187** के लिए **रु. 1,85,13,849/- (रुपए एक करोड़ पचासी लाख तेरह हजार आठ सौ उनचास मात्र)** के लिए **11.07.2023** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **12.07.2023** से प्रभावी जो **कबाना एग्रो फूड्स (इसके भागीदारों के माध्यम से), अंकित कपूर और कमलेश कपूर** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 2,84,00,000/- (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 28,40,000/- (रुपए अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

प्लॉट नंबर 6, पूरी तीसरी मंजिल (छत/टेरेस के अधिकारों के साथ), क्षेत्रफल 299.15 वर्ग गज, आदर्श भवन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू रोड पर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026, लगभग 263 वर्ग फीट माप वाले अविभाजित क्षेत्र के साथ। कुल क्षेत्रफल में से लगभग 790 वर्ग फीट स्टिल्ट पार्किंग में है। प्लॉट नंबर 6 निम्नानुसार सीमाबद्ध है:

उत्तर : सड़क | पूर्व : प्लॉट नंबर 4
दक्षिण : लेन | पश्चिम : प्लॉट नंबर 8

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानि www.indiabullscommercialcredit.com पर दिए गए लिंक को देखे और बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/-
दिनांक : 11.07.2023 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
गाजियाबाद शाखा: ओपीएस प्लाजा- तीसरी मंजिल, बी-2, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद 201002 उत्तर प्रदेश
नोएडा सेक्टर 31 शाखा : दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 253, कृष्णा काम्पलेक्स, महाराजा अग्रसेन मार्ग, नोएडा सेक्टर-31, पिल्लर नं. 23, ग्राम निठारी, गौतम बुद्धनगर उत्तर प्रदेश- 201301
मेरठ शाखा : प्रथम मंजिल, आर्यन स्क्वेयर, पीवीएस मॉल के पास, योजना क्रं. 3, आई.एस. 190, शास्त्री नगर, मेरठ-250002 (उ.प्र.)
मेरठ (पुरानी मेरठ शाखा-2) शाखा : प्रथम मंजिल, आर्यन स्क्वेयर, पीवीएस मॉल के पास, योजना क्रं. 3, आई.एस. 190, शास्त्री नगर, मेरठ-250002 (उ.प्र.)
मुजफ्फरनगर शाखा: पहली मंजिल, 52/9, बाग कामबासवाला, निकत जैन मिलन, जनसत्ता रोड़, उत्तर प्रदेश - 451314

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02900001202/ गाजियाबाद शाखा) उमर मोहम्मद (ऋणी), समीना उमर मोहम्मद (सह-ऋणी), मोहम्मद अजीम, खलील सैफी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 4 7 पर मकान, मलिक नगर ग्राम उकलारची मुराद नगर तहसील जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001 **चर्तु:सीमा:** पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम : 15 फीट चौड़ा रोड, उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण: बाबु का मकान	11-04-2023 ₹ 13,13,401/-	12-07-2023
2	(लोन कोड नं. 20200002455/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा) सुधा देवी (ऋणी), दिनेश कुमार (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सी 15 सी 17 ब्लॉक सी खाता नंबर 159 खसरा नंबर 886के श्याम विहार ग्राम गुलिस्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 **चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लाट नं.-सी 2 एवं 15, पश्चिम : 20 फीट चौड़ा रोड, उत्तर: प्लाट नं. सी-1, दक्षिण: प्लाट नं. 16	11-04-2023 ₹ 2,51,235/-	12-07-2023
3	(लोन कोड नं. 00500001829/ मेरठ शाखा) स्वाति निरंकार (ऋणी), निरंकार सुभाष सिंह (सह-ऋणी), मनीष तोमर (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 263 2, खसरा नंबर 58 59 2 65 66 2 का भाग, गणपति विहार कॉलोनी नंगलाताशी कासमपुर, मेरठ, उ. प्र. 250002. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम : मकान नं. 262, उत्तर: मकान नं. 263/1, दक्षिण: मकान नं. ए-28	09-05-2023 ₹ 9,11,690/-	13-07-2023
4	(लोन कोड नं. 20200003542/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा) प्रदीप कुमार (ऋणी), कविता देवी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 28 ब्लॉक एफ खसरा नंबर 1013 ओम कुंज ग्राम दादरी परगना तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201306 **चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लाट नं. 37, पश्चिम : 16 फिट रोड, उत्तर: प्लाट नं. 29, दक्षिण: प्लाट नं. 27	11-04-2023 ₹ 8,32,635/-	12-07-2023
5	(लोन कोड नं. 25000000036/ मेरठ (पुरानी मेरठ शाखा-2) शाखा) रणवीर सिंह (ऋणी), कुसुम कुसुम (सह-ऋणी), सिताराम सिताराम (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 579-ए पर मकान, ग्राम खादोली भोला रोड़, मेरठ, उ. प्र. 250002. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: जयपाल का प्लाट, पश्चिम : राजपाल का प्लाट, उत्तर: भोला रोड़, दक्षिण: सतपाल का प्लाट	09-02-2023 ₹ 3,62,734/-	13-07-2023
6	(लोन कोड नं. 02900002443/ गाजियाबाद शाखा) नईम उस्मान (ऋणी), रेशमा नईम (सह-ऋणी), नजीम ली (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 171 मीन पर प्लाट, ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर मुरादनगर तह मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 **चर्तु:सीमा:** पूर्व: अन्य का प्लाट, पश्चिम : 25 फिट चौड़ा रोड़, उत्तर: इकबाल का प्लाट, दक्षिण: विक्रेता का प्लाट	11-04-2023 ₹ 6,21,496/-	12-07-2023
7	(लोन कोड नं. 02900002499/ गाजियाबाद शाखा) अजय सुरेश (ऋणी), सीमा शर्मा (सह-ऋणी), वसीम खान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 106 पर मकान, ग्राम सीकरी तेह मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: मांगीराम का मकान, पश्चिम : 5 फिट चौड़ा रोड़, उत्तर: वेद प्रकाश संपत्ति, दक्षिण: मूलचन्द का मकान	11-04-2023 ₹ 6,04,020/-	12-07-2023
8	(लोन कोड नं. 00500002242/ मेरठ शाखा) स्वर्गीय बीना विशन (ऋणी) (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व), सागर विशन (सह-ऋणी), कुलदीप सिंह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 23 का भाग, खसरा नं. 1350 एमआई का भाग, ग्राम नगलताशी कसमपुर मोह साधु नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250001. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: अन्य व्यक्ति का मकान, पश्चिम : 20 फिट चौड़ा रोड़, उत्तर: प्लाट नं. 23 का भाग, मालिकान, दक्षिण: प्लाट नं. 22, सुशील	11-04-2023 ₹ 5,80,662/-	13-07-2023
9	(लोन कोड नं. 00500002560/मेरठ शाखा) विकास कुमार (ऋणी), इंद्रा रस्तोगी (सह-ऋणी) खुशबू रस्तोगी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नंबर 1148 02 ब्रह्मपुरी मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250002. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: 60 फिट चौड़ा रोड़, पश्चिम : रामकुमार का मकान, उत्तर: वेदप्रकाश का मकान, दक्षिण: रघुवीर का मकान	11-04-2023 ₹ 4,22,814/-	13-07-2023
10	(लोन कोड नं.11400000438/ मुजफ्फरनगर शाखा) छोटा (ऋणी), बबली (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 963 4 पर मकान शिव नगर रकबा ग्राम सर्वत सैनी फार्म हाउस, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251001. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: 18 फिट चौड़ा रोड़, पश्चिम : सुमित्रा का मकान, उत्तर: योजना सिंह का मकान, दक्षिण: बृजेशदेवी का मकान	11-04-2023 ₹ 8,13,344/-	12-07-2023
11	(लोन कोड नं. 20210000389/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा) धीरेंद्र कुमार (ऋणी), अंकिता कुमारी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, कृष्णा एन्क्लेव 11 ब्लॉक सी पार्ट 3 सनपुरा सोहनपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201307. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: प्लाट नं. सी-18, पश्चिम : 20 फिट रोड़, उत्तर: प्लाट नं. सी- 11/ए, दक्षिण: प्लाट नं. सी 10	11-04-2023 ₹ 6,80,251/-	12-07-2023

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 18.07.2023
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केजरीवाल ने खड़गे का जताया आभार

नई दिल्ली (एसएनबी)। अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिलने पर आप संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीटर पर आभार जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मजबूती से लड़ना चाहिए। ट्वीटर पर सीएम का यह बयान विपक्ष की बैठक से ठीक पहले आया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर लिखा है कि 'दिल्ली के लोगों का साथ देने के खड़गे जी का शुक्रिया। केंद्र सरकार का यह अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है तथा इससे जी जान से लड़ना होगा। दिलचस्प बात यह है कि अरविद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने रविवार को घोषणा की थी कि वह बेंगलुरू में विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेगी। जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करे। उसके बाद ही वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में भाग लेने पर फैसला करेगी।

डीयू ने घोषित की बाढ़ के मद्देनजर स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने राजधानी में बाढ़जैसी स्थिति के कारण स्थगित की गई परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। नियमित, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षा की नई तारीखों की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। पूर्व में 17, 18 तथा 19 जुलाई के लिए निर्धारित लिखित परीक्षाएं अब 26 जुलाई, एक और दो अगस्त को होंगी। वहीं, 14, 15 और 16 जुलाई के लिए निर्धारित प्रायोगिक परीक्षाएं अब तीन, चार तथा पांच अगस्त को होगी।

डा. चंद्रभानु सत्पथी को 'द श्री गुरु भागवत' सम्मान

नई दिल्ली (एसएनबी)। पवित्र भागवत् गीता के महत्व के बारे में दुनियाभर में उत्कृष्ठ सेवाएं देने के लिए डा. चंद्र भानु सत्पथी को 'द श्री गुरु भागवत' सम्मान प्रदान किया गया। चाइना हार्बर लेक यूनियन, सिएटल की ओर से उन्हें यह सम्मान लेने के लिए 'सेलिब्रेटिंग द श्री गुरु भागवत' में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित भी किया गया है। डा. सत्पथी की महान रचना, जो मूल रूप से उड़िया में लिखी गई थी, 8 खंडों में है, जिसमें 34 हजार से अधिक पंक्तियां हैं। यह पुस्तक सोलह से अधिक विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। डा. सत्पथी की रचना उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, तेलुगु, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी में संगीतबद्ध है। राजधानी के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में डा. सत्पथी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिए गए सम्मान के साथ-साथ उनकी महान कृति श्री गुरु भागवत को भी धन्यवाद दिया।

सांकेतिक हड़ताल पर रहे हाईकोर्ट के वकील

नई दिल्ली (एसएनबी)। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ के कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 'सांकेतिक विरोध' के आह्वान के बाद वकीलो ने सोमवार को अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। वकीलों की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने अधिकांश मामलों को स्थगित कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने 15 जुलाई को न्यायमूर्ति कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। वकीलों के निकाय ने तर्क दिया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण न्याय प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसने अपने सदस्यों से 17 जुलाई को काम से दूर रहने को कहा था। इस बीच, केंद्र ने 15 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कंठ की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

हड़ताल के आह्वान पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मिश्रित प्रतिक्रिया दिखी।कुछ मामलों में, प्रॉक्सी वकील उपस्थित हुए और सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। अन्य मामलों में, अदालत ने अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों को सुना तथा आदेश पारित किए। अन्य पीठों के समक्ष भी